भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक

2991. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के पारिश्रमिक में की गई वृद्धि कुशल और अर्धकुशल कामगारों के पारिश्रमिक में की गई वृद्धि के बराबर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में कुशल और अर्धकुशल कामगारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी कितनी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय की “मानद कार्यकर्त्री” हैं जो समुदाय की सहायता के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय में वृद्धि की है। वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह है; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 3,500/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी सहायिका को 250/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 500/- रुपये का कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कर्मियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त मानदेय का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं/ विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) का बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

(iii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया है।

(iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, के तहत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज देने की घोषणा की गई है।

****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पारिश्रमिक" के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा पूछे गए लोक सभा में दिनांक 09.08.2024 का अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक:

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**राज्य द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से (प्रति माह) भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (रुपए में)**	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	**आंगनवाड़ी सहायिका**
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव), 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव) और 6000 (25 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (10 वर्ष से कम की सेवा/अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 9000 (लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपये प्रति माह	5250

		अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र में	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कर्मी को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कर्मी को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कर्मियों के लिए 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कर्मियों के लिए 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति माह 250 वेतन वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036

17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800-आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 2750-लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुद्दुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	2000+ 1000 दिनांक 16.01.2024 से प्रभावी	2000+ 1000 दिनांक 16.01.2024 से प्रभावी
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 और लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 न्यूनतम	4218 (अधिकतम) एवं 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

****